न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 04/2021 अपील (GCMS/2021/52)
पंजीयन दिनांक - 23.04.2021
आदेश दिनांक - 18.10.2022

श्री हरिसिंह राणावत पिता जयसिंह राणावत, निवासी गांव रोहिडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री अजय कुमार - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ ( )/न्याय/आर्म्स/2020/7562 दिनांक 15.02.2021

निर्णय

दिनांक 18.10.2022

यह अपील अपीलर्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के आदेश क्रमांक एफ ( )/न्याय/आर्म्स/ 2020/7562 दिनांक 15.02.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री हरिसिंह राणावत पिता जयसिंह राणावत, निवासी गांव रोहिडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा बारहबोर बंदूक का आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 102/डीएचआर-1/एमपी/2017 को जिला धार (मध्य प्रदेश) से जिला उदयपुर (राजस्थान) में स्थानांतरण करने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2020 को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा अनुज्ञापत्र संख्या 102/डीएचआर-1/एमपी/2017 में अनुज्ञापत्र का क्षेत्राधिकार राज्य से अधिक का नहीं होना अंकित होने तथा आयुध अधिनियम 2016 के (नियम 4 (2) का

हवाला देते हुए आदेश क्रमांक एफ ( )/न्याय/आर्म्स/ 2020/7562 दिनांक 15.02.2021 से आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर गया।

- उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 09.04.2022 को प्रस्तुत की। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर से अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता दिनांक 18.10.2022 को उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

- **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि** अपीलांट मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग से मुख्य प्रहरी के पद पर कार्यरत रहते हुए जिला धार (मध्य प्रदेश) से दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हुआ है एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत अपने पैतृक गांव रोहिडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में निवासरत है एवं अपनी सेवाएं उदयपुर क्षेत्र में स्थित बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों में सुरक्षा अधिकारी के रूप में प्रदान करना चाहता है। जिला दण्डाधिकारी, जिला धार (मध्य प्रदेश) के द्वारा अनुज्ञापत्र संख्या 102/डीएचआर-1/एमपी/2017 अपीलांट के पक्ष में जारी किया जाकर दिनांक 31.12.2022 तक वैद्य होकर उदयपुर क्षेत्र में स्थानांतरण हेतु अति. जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के यहां आवेदन किया। अपीलांट के अनुज्ञापत्र के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, धार (मध्य प्रदेश) से सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 17.08.2020 को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर को प्राप्त हो गई। उक्त सूचना प्राप्ति के उपरांत एनओसी अति. जिला मजिस्ट्रेट, शहर उदयपुर को दिनांक 14.09.2020 से प्रेषित की गई। इसके पश्चात भी अपीलांट अपने अनुज्ञापत्र के स्थानांतरनण के संबंध में अनेक अवसर पर संबंधित कार्यालय पर संपर्क करता रहा परंतु उसे संतुष्टिपूर्वक उत्तर न देकर मात्र आश्वासन दिया गया कि आपका काम कुछ दिन में हो जायेगा। अपीलांट ने अपने अनुज्ञापत्र के स्थानांतरण के संबंध में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2020 को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के यहां प्रस्तुत किया जो उसी दिन अति. जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर को प्राप्त हो गया। लेकिन इसके उपरांत भी अपीलांट के उक्त अनुज्ञापत्र का स्थानांतरण नही किया गया। दिनांक 15.02.2021 को अपीलांट को कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा दिये गये आदेश के अंतर्गत उक्त अनुज्ञापत्र को उदयपुर शहर में दर्ज करने से इंकार करते हुए बताया गया कि अपीलांट के अनुज्ञापत्र का क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश से बाहर का नहीं है। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

- **विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।**

- **हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।**

- उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2021 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 09.04.2021 को पेश की जाकर अंदर मयाद पेश है।

- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री हरिसिंह राणावत पिता जयसिंह राणावत, निवासी गांव रोहिडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर द्वारा बारहबोर बंदूक का आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 102/डीएचआर-1/एमपी/2017 को जिला धार (मध्य प्रदेश) से जिला उदयपुर (राजस्थान) में स्थानांतरण करने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2020 को जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा अनुज्ञापत्र संख्या 102/डीएचआर-1/एमपी/2017 में अनुज्ञापत्र का क्षेत्राधिकार राज्य से अधिक का नहीं होना अंकित होने तथा आयुध अधिनियम 2016 के (नियम 4 (2) का हवाला देते हुए आदेश क्रमांक एफ ( )/न्याय/आर्म्स/ 2020/7562 दिनांक 15.02.2021 से आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर गया।

- अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञापत्र स्थानांतरण हेतु प्रमुख कारण अंकित किया कि अपीलार्थी दिनांक 30.06.2016 को मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग से मुख्य प्रहरी के पद से सेवानिवृत्त होकर वर्तमान में अपने पैतृक गांव रोहिडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में निवासरत है। अपीलांट सेवानिवृत्ति के पश्चात् बेरोजगार होकर उदयपुर में नियोजित होना चाहता था लेकित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप अपीलांट उदयपुर शहर में नियोजित नही हो सका। अपीलांट अपनी सेवाएं स्थानीय क्षेत्र में देना चाहता है एवं सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उक्त अनुज्ञापत्र को उदयपुर क्षेत्र में स्थानांतरण किया जाना आवश्यक है।

- अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं आदेश के अवलोकन से यह पाया गया कि जिला दण्डाधिकारी, जिला धार (मध्य प्रदेश) के द्वारा अपीलांट के पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र संख्या 102/डीएचआर-1/एमपी/2017 में अनुज्ञापत्र का क्षेत्राधिकार

राज्य से अधिक नहीं होना अंकित किया गया है तथा आयुध अधिनियम 2016 के (नियम 4 (2) In any area specified in the notification issued by the Central Government under section 4 of the Act, licence for acquisition possession or Carrying in that area of arms of such class or description as may be specified in that notification may also be granted or renewed as provided in Schedule ll, subject to such conditions as may be specified in these rules, that Schedule and in the licence.) के तहत शिड्यूल-ाा में लाईसेंसिंग प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए है। उक्त अनुज्ञापत्र का क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश राज्य से अधिक नहीं होने से जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा आवेदन खारिज किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया उसमें कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है, उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत उचित है।

- उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर का आदेश दिनांक 15.02.2021 में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से **अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है** और **जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.02.2021 यथावत रखा जाता है।** पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर